जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा./स.स./बी.पी.सी.(बीपी)/2016/डी–1870 दिनांकः– 30/8/2017

श्री विभिषेक सिंह,
पार्टनर,
मैसर्स डेजी डवलपर्स,
बी–68, यशपथ, तिलक नगर,
जयपुर।

विषयः– नीलामी द्वारा निष्पादित वाणिज्यिक/होटल प्लाट, न्यू आतिश मार्केट, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन के संशोधित मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 29.06.2017 के संदर्भ में जो प्रस्ताव नीलामी द्वारा निष्पादित वाणिज्यिक/होटल प्लाट, न्यू आतिश मार्केट, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर में स्थित भूखण्ड (2409.00 वर्गमीटर) पर 39.82 मीटर ऊँचाई के (बेसमेन्ट–1 + बेसमेन्ट–2 + भूतल + 12 मंजिल) के प्रस्तावित व्यावसायिक संशोधित भवन मानचित्र के लिए प्रस्तुत किये गये थे उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की 195वीं बैठक दिनांक 28.07.2017 के निर्णयानुसार निम्न शर्तो के साथ दी जाती हैः–

1. यह भवन अनुज्ञा माह (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अनापत्ति क्रमांक JAIP/NORTH/B/042716/127027 दिनांक 27.04.2016 के अनुसार) दिनांक 26.04.2021 तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक नहीं होगा।
4. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्ते अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
5. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं उपायुक्त जोन–05 प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगे।
6. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माणकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से संबंधित उपायुक्त जोन 05 को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
7. भवन विनियम 2010 की धारा 15.6 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
8. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
9. दरवाजे एवं खिडकियाँ इस प्रकार लगाए जायेगें कि वो सडक की ओर निकले हुए नहीं हों।
10. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत व्यावसायिक ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
11. ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
12. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
13. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
14. स्वीकृत मानचित्र को प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार–पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होगें तथा इसकी सूचना संबंधित उपायुक्त जोन को देगा।
15. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2011 के विनियम 10.1.8 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।

16. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावें।
17. भवन विनियम की धारा 16.5 की अनुपालना में भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।
18. अग्निशमन दृष्टि से सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी तथा भवन की आवश्यकतानुसार अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) रखें जावें तथा इनको संचालित करने के लिये प्रशिक्षित व्यक्ति ऐसे भवन में हर समय उपलब्ध रहें।
19. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
20. अधिवास प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से लिया जाना होगा।
21. भवन का उपयोग प्रांरभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचना उपलब्ध करवाई जावें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
22. भवन विनियम 2010 की धारा 17.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वत निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
23. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा अग्निशमन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रावधानों की अनुपालना अपने स्तर पर सुनिश्चित की जावे तथा परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
24. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
25. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
26. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।
27. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावें।

संलग्नः— मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (11 मानचित्र)

भवदीय

20/6/17

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (11 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त, जोन—05, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (11 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. सहायक नगर नियोजक, जोन—05, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (11 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी—बीपी, जविप्रा, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (11 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लि0 विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वाथ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पीटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

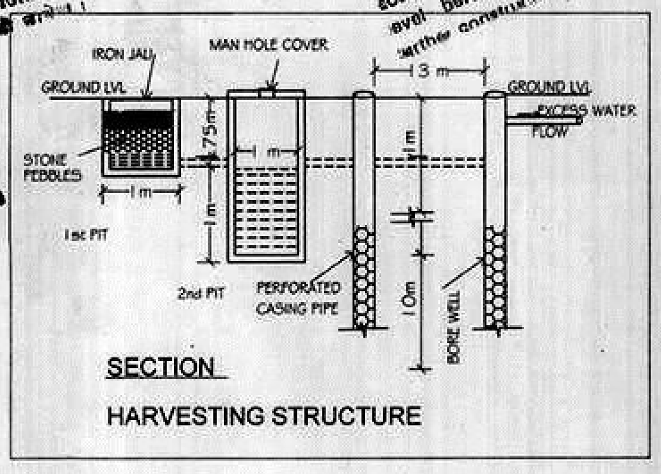

SHEET NO. 01

SITE - PLAN &CALCULATION TABLE

PLOT AREA = 2409.00 SQ.MT.	ACHIEVED	EXCEED AREA
PERMISSIBLE F.A.R. = UNLIMITED	7406.26 SQ.MT. (3.07)	NA
PERMISSIBLE GROUND COVERAGE =2409.00 X 0.35 = 843.15 SQ.MT.	642.75 SQ.MT. (26.68%)	NA
PERMISSIBLE CORRIDOR AREA = 20 % OF THE ACHIEVED COMMERCIAL F.A.R. = 1459.76 SQ.MT.	1567.18 SQ.MT.	107.42
PERMISSIBLE SERVICES AREA = 7% OF THE ACHIEVED COMMERCIAL F.A.R. = 510.91 SQ.MT.	65.74 SQ.MT.	NIL

TOTAL B.U.A. & F.A.R. CALCULATION SHEET :--

S.NO.	FLOORS	GROSS B.U.A. (SQ. MT.)	FIRE-ESCAPE STAIRCASE (SQ. MT.)	BALCONY &PASSAGE (SQ. MT.)	B.U.A. (SQ. MT.)	LIFT (SQ. MT.)	STAIRS (SQ. MT.)	CORRIDOR (SQ. MT.)	SERVICES (SQ. MT.)	F.A.R (SQ. MT.)
01.	LOWER BASEMENT FLOOR	1734.06	-------	-------	1273.95	18.11	38.08	-------	-------	-------
02.	UPPER BASEMENT FLOOR	1744.68	-------	-------	1273.95	18.11	38.08	-------	-------	-------
03.	GROUND FLOOR	750.31	21.32	86.24	642.75	18.11	25.09	54.83	5.74	538.98
04.	FIRST FLOOR	628.97	21.32	-------	607.65	18.11	25.09	115.90	5.00	443.55
05.	SECOND FLOOR	778.58	18.87	10.35	749.36	18.11	25.09	126.95	5.00	574.21
06.	THIRD FLOOR	778.58	18.87	10.35	749.36	18.11	25.09	126.95	5.00	574.21
07.	FOURTH FLOOR	778.58	18.87	10.35	749.36	18.11	25.09	126.95	5.00	574.21
08.	FIFTH FLOOR	778.58	18.87	10.35	749.36	18.11	25.09	126.95	5.00	574.21
09.	SIXTH FLOOR	778.58	18.87	10.35	749.36	18.11	25.09	126.95	5.00	574.21
10.	SEVENTH FLOOR	778.58	18.87	10.35	749.36	18.11	25.09	126.95	5.00	574.21
11.	EIGHT FLOOR	778.58	18.87	10.35	749.36	18.11	25.09	126.95	5.00	574.21
12.	NINTH FLOOR	778.58	18.87	10.35	749.36	18.11	25.09	126.95	5.00	574.21
13.	10 TH FLOOR	778.58	18.87	10.35	749.36	18.11	25.09	126.95	5.00	574.21
14.	11 TH FLOOR	778.58	18.87	10.35	749.36	18.11	25.09	126.95	5.00	574.21
15.	12 TH FLOOR	778.58	18.87	10.35	749.36	18.11	25.09	126.95	5.00	574.21
16.	TERRACE FLOOR	116.45	------	------	116.45	------	------	------	------	------
	TOTAL	13538.85	250.21	200.09	12157.71	271.65	402.33	1567.18	65.74	7298.84

TOTAL F.A.R ACHIVED = 7298.84 SQ.MT.

CORRIDOR AREA PERMISSIBLE = 7298.84 X 0.20 = 1459.76 SQ.MT.

CORRIDOR AREA ACHIEVED = 1567.18 SQ.MT.

EXCEED CORRIDOR AREA = 1567.18 - 1459.76 = 107.42 SQ.MT.

TOTAL F.A.R ACHIVED = 7298.84 + 107.42 (EXCEED CORRIDOR) = 7406.26 SQ.MT.

PARKING CALCULATIONS:-

NO. OF E.C.U. REQUIRED @ 1 E.C.U. PER

COMMERCIAL PARKING $\frac{\text{FAR ACHIEVED}}{50} = \frac{7406.26}{50} = 148.12$

+ 25% EXTRA VISITOR PARKING = 148.12 X1.25 = 185.15 E.C.U

TOTAL PARKING REQ. = 185.15 E.C.U.

PARKING AVAILABLE =

CAR PARK IN OPEN AREA = 39

CAR PARK IN UPPER BASEMENT = 32

CAR PARK IN LOWER BASEMENT = 34

CAR PARK IN MECHANICAL = 34

TOTAL CAR PARK = 139 E.C.U.

SCOOTER PARK IN OPEN AREA = 47

SCOOTER PARK IN UPPER BASEMENT = 48

SCOOTER PARK IN LOWER BASEMENT = 47

TOTAL TWO WHEELER = 142 NO.S = 47.33 E.C.U.

TOTAL PARKING PROVIDED = 139 + 47.33 = 186.33 E.C.U.

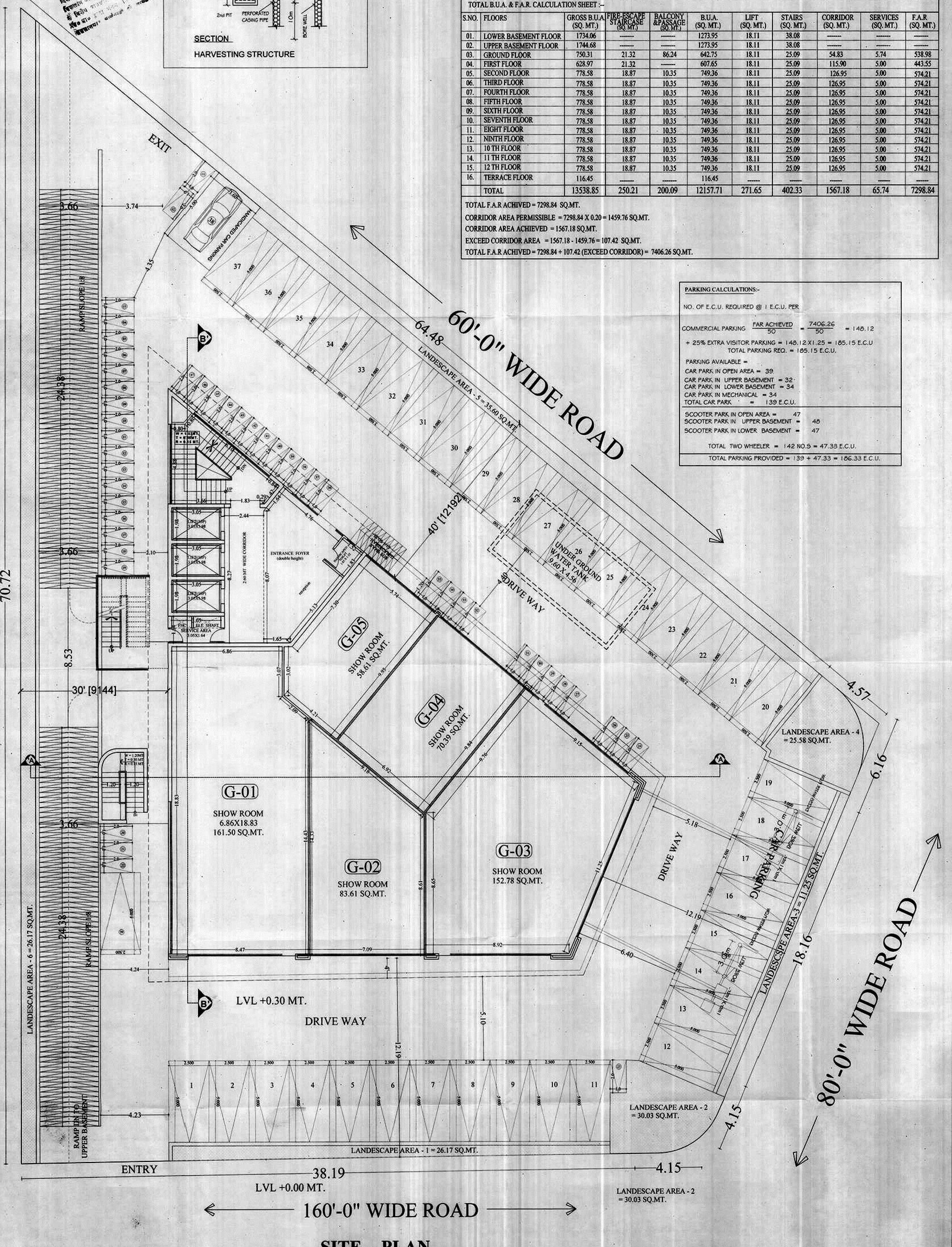

LVL +0.00 MT.

160'-0" WIDE ROAD

LANDESCAPE AREA - 2 = 30.03 SQ.MT.

SITE - PLAN

DRAWING TITLE

SITE - PLAN &CALCULATION TABLE

PROJECT TITLE:-

PROPOSED COMMERCIAL COMPLEX
AT SCHEME - NEW ATISH MARKET,JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE URBAN PLANNING INTERIORS

SCALE 1:100

NORTH POINT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/9?/22030

OWNER

ARCHITECT

SHEET NO. 02

LOWER BASEMENT FLOOR PLAN

भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की 195 बैठक दिनांक 28/7/2017 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में भवन मानचित्र पत्रांक जविप्रा/स.स./बीपीसी (बीपी)/डी-1870 दिनांक 3/8/2017 द्वारा अनुमोदित कर जारी किये गये।

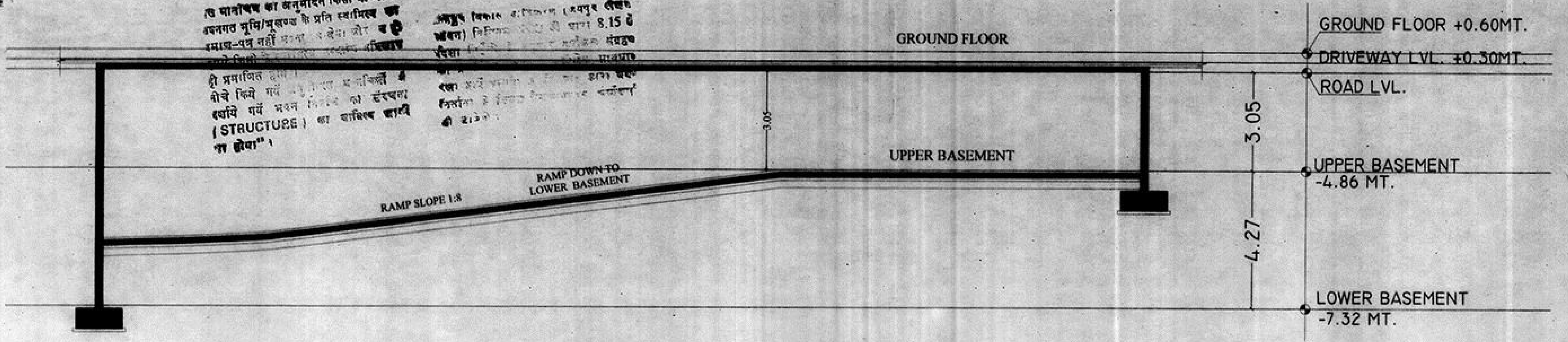

SECTION 'DD'

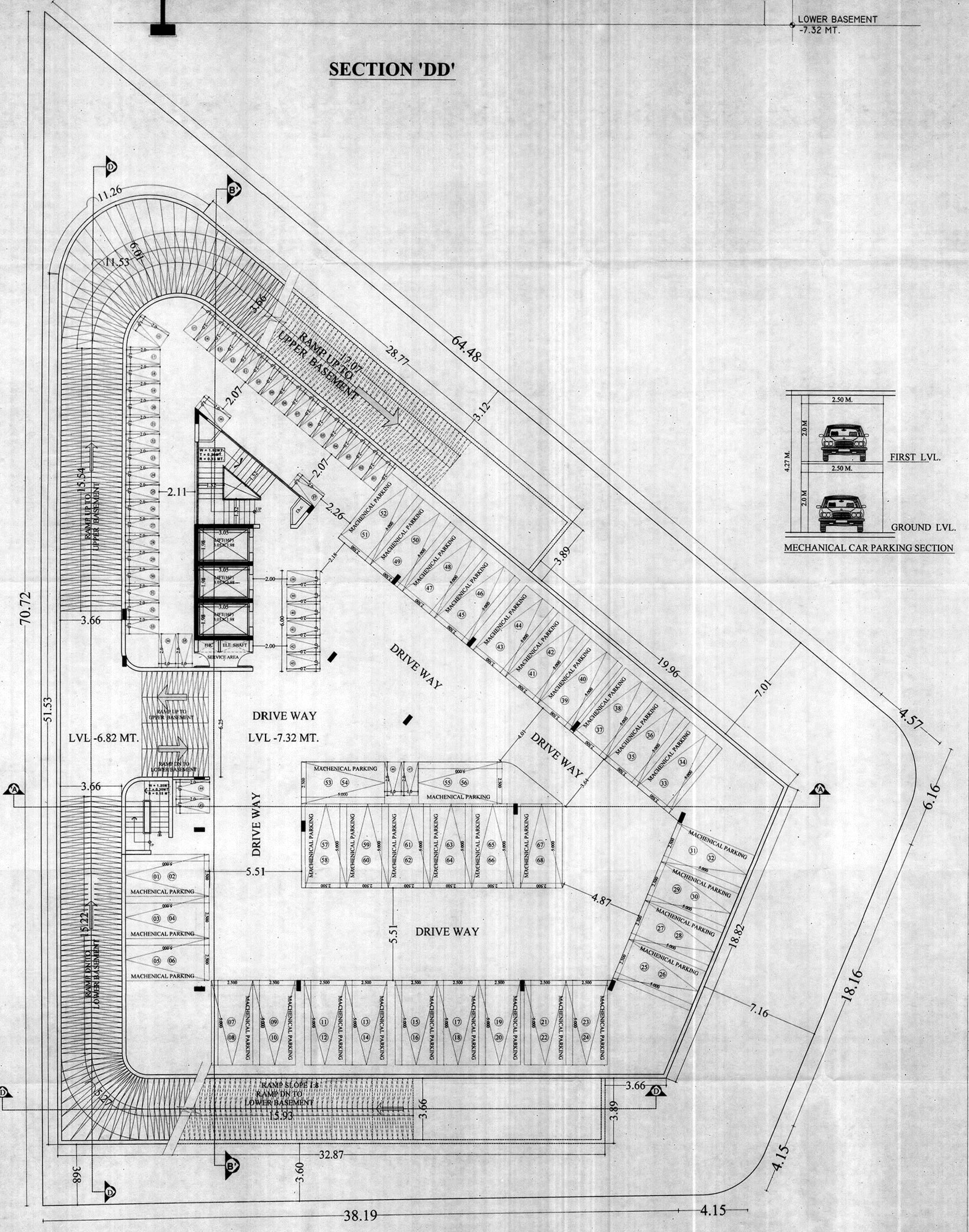

LOWER BASEMENT FLOOR PLAN

DRAWING TITLE

LOWER BASEMENT FLOOR PLAN

PROJECT TITLE:-

PROPOSED COMMERCIAL CUM RESIDENTIAL APARTMENT AT SCHEME - NEW ATISH MARKET, JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE URBAN PLANNING INTERIORS

SCALE 1:100

NORTH POINT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER

ARCHITECT

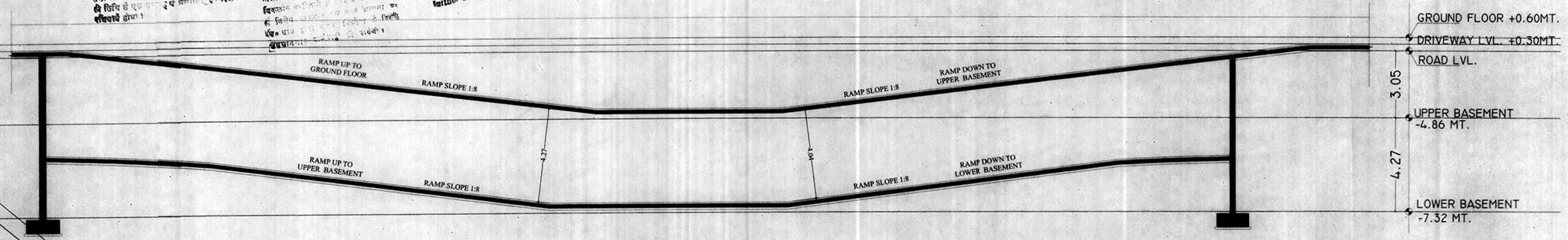

SECTION 'CC'

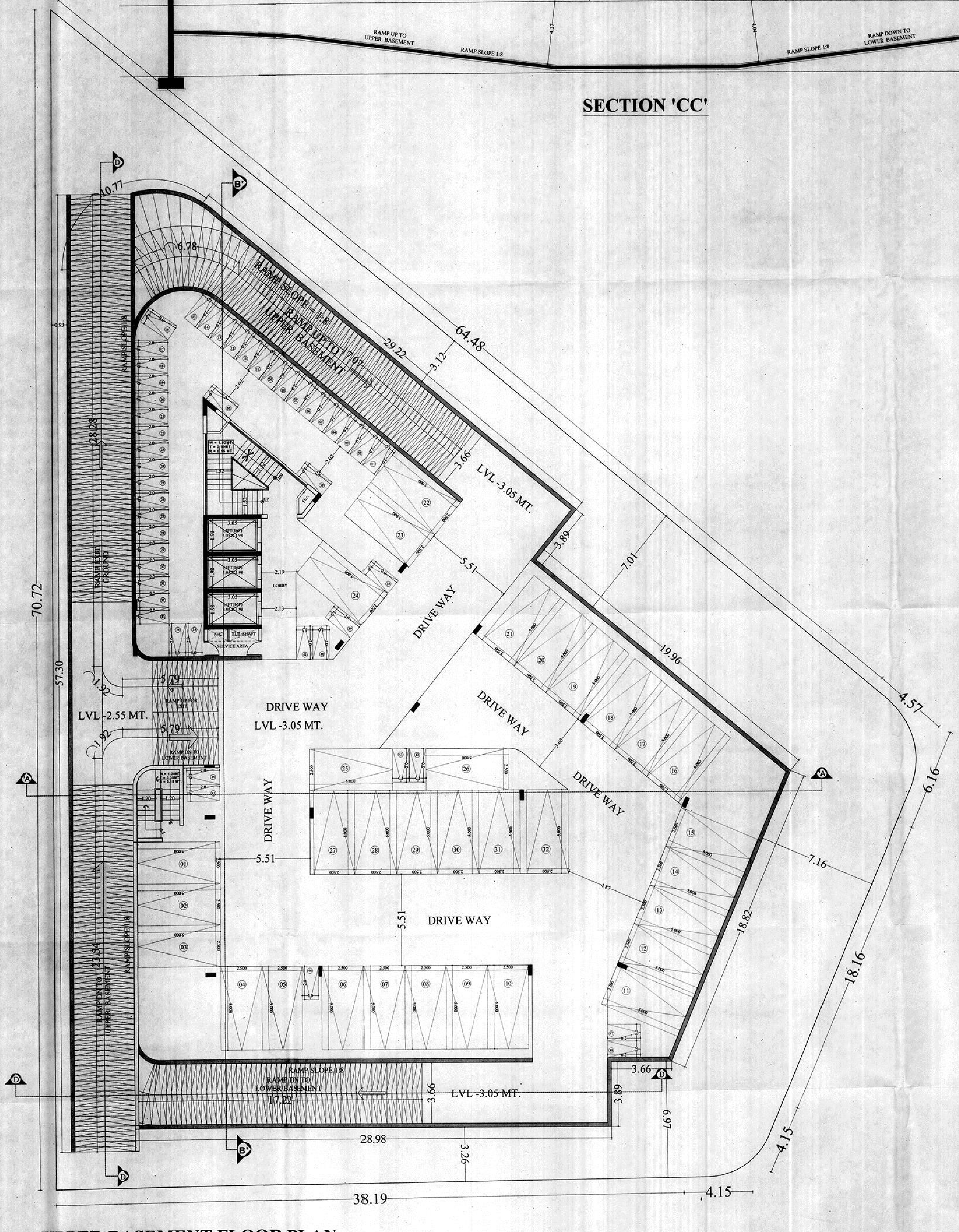

UPPER BASEMENT FLOOR PLAN

applicant should get his construction checked at plinth level prior to proceeding for further construction

SHEET NO. 03

UPPER BASEMENT FLOOR PLAN

भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की ....195...वीं बैठक दिनांक 28/7/2017 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में भवन मानचित्र पत्रांक संख्या/ स.स./बीपीसी (बीपी)/डी-1870 दिनांक 3/8/2017 द्वारा अनुमोदित कर जारी किये गये।

DRAWING TITLE

UPPER BASEMENT FLOOR PLAN

PROJECT TITLE:-

PROPOSED COMMERCIAL CUM RESIDENTIAL APARTMENT AT SCHEME - NEW ATISH MARKET,JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE URBAN PLANNING INTERIORS

SCALE 1:100

NORTH POINT

OWNER

ARCHITECT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect

SHEET NO. 04

GROUND FLOOR PLAN

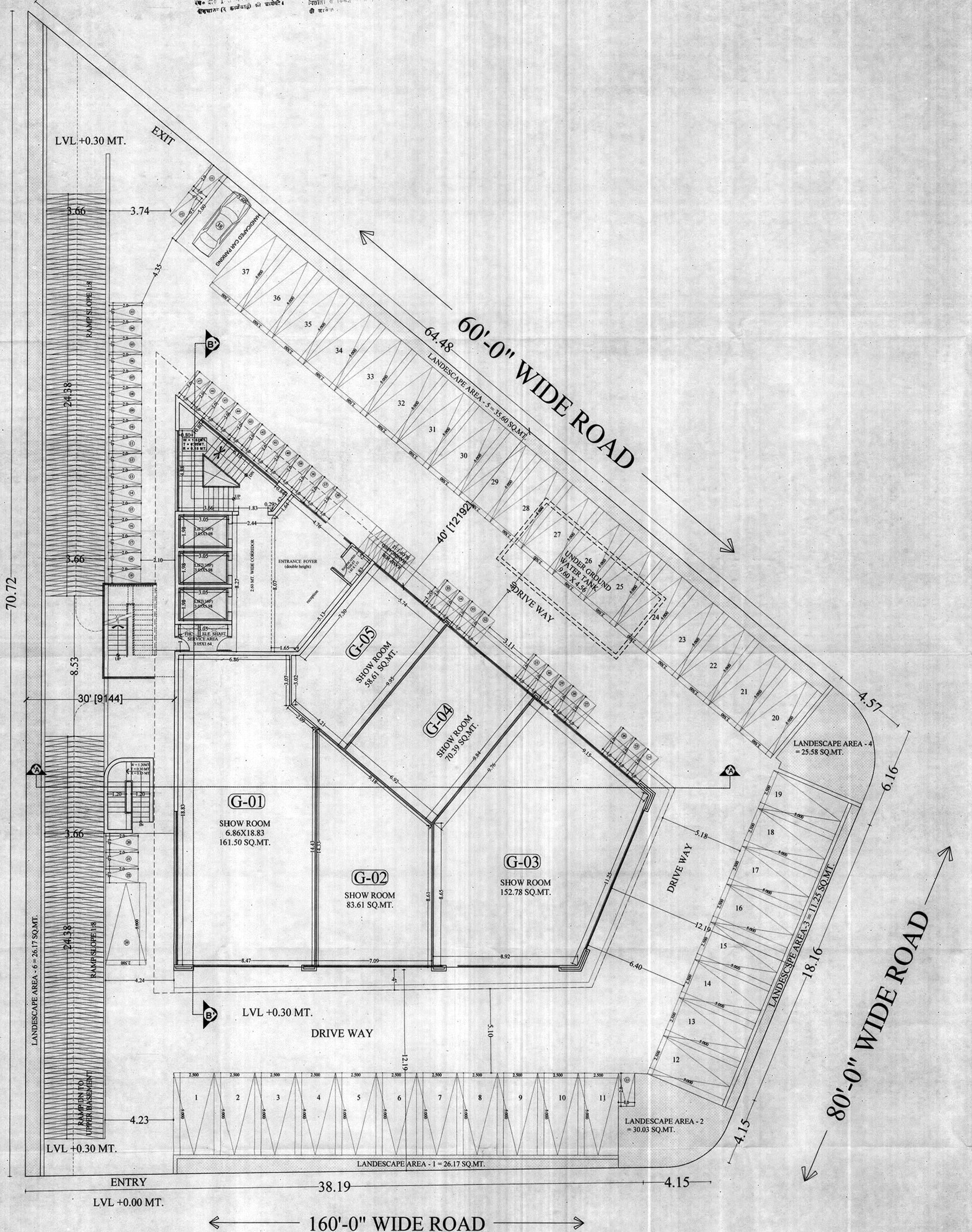

GROUND FLOOR PLAN

SHEET NO. 05

FIRST & SECOND FLOOR PLAN

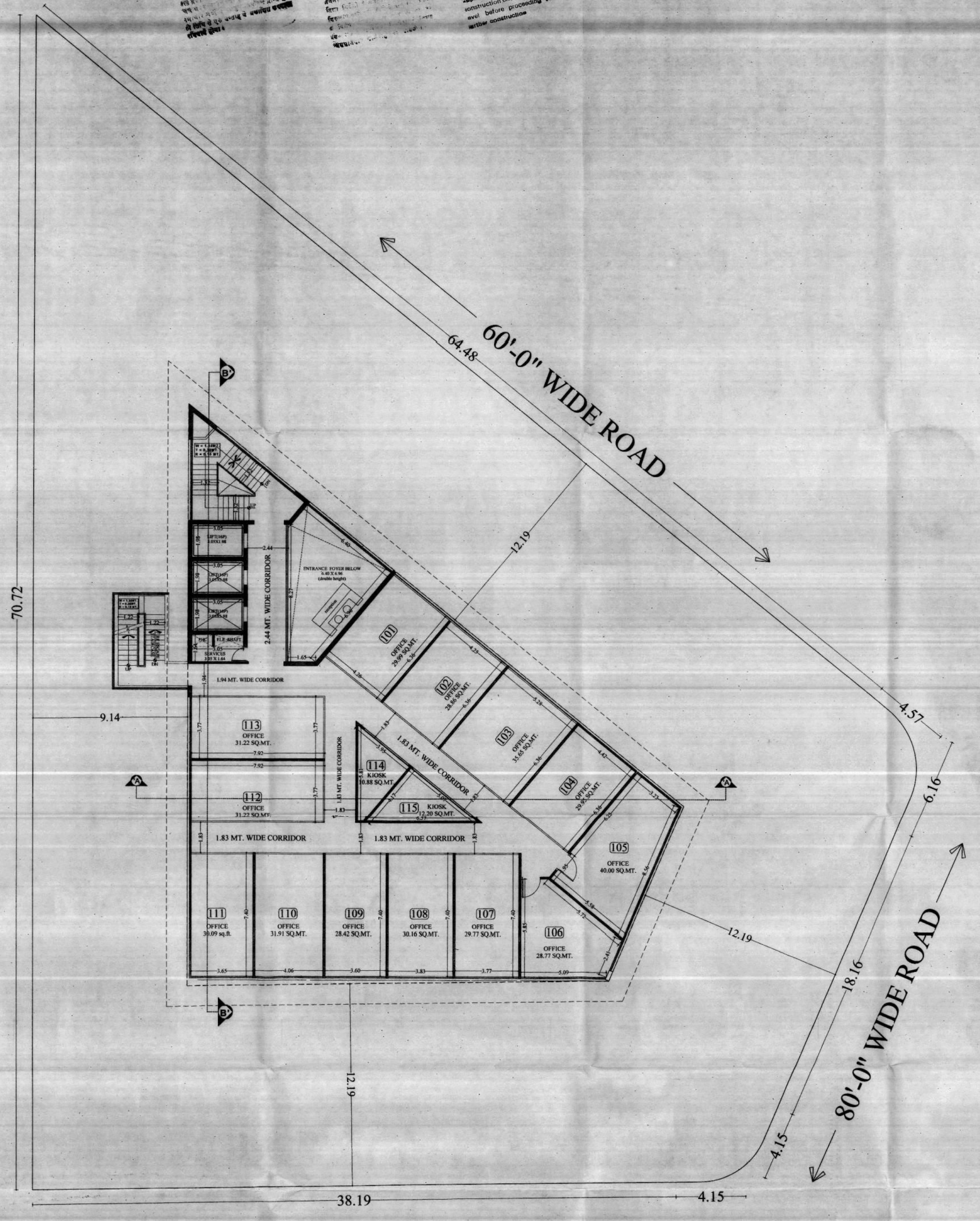

FIRST FLOOR PLAN

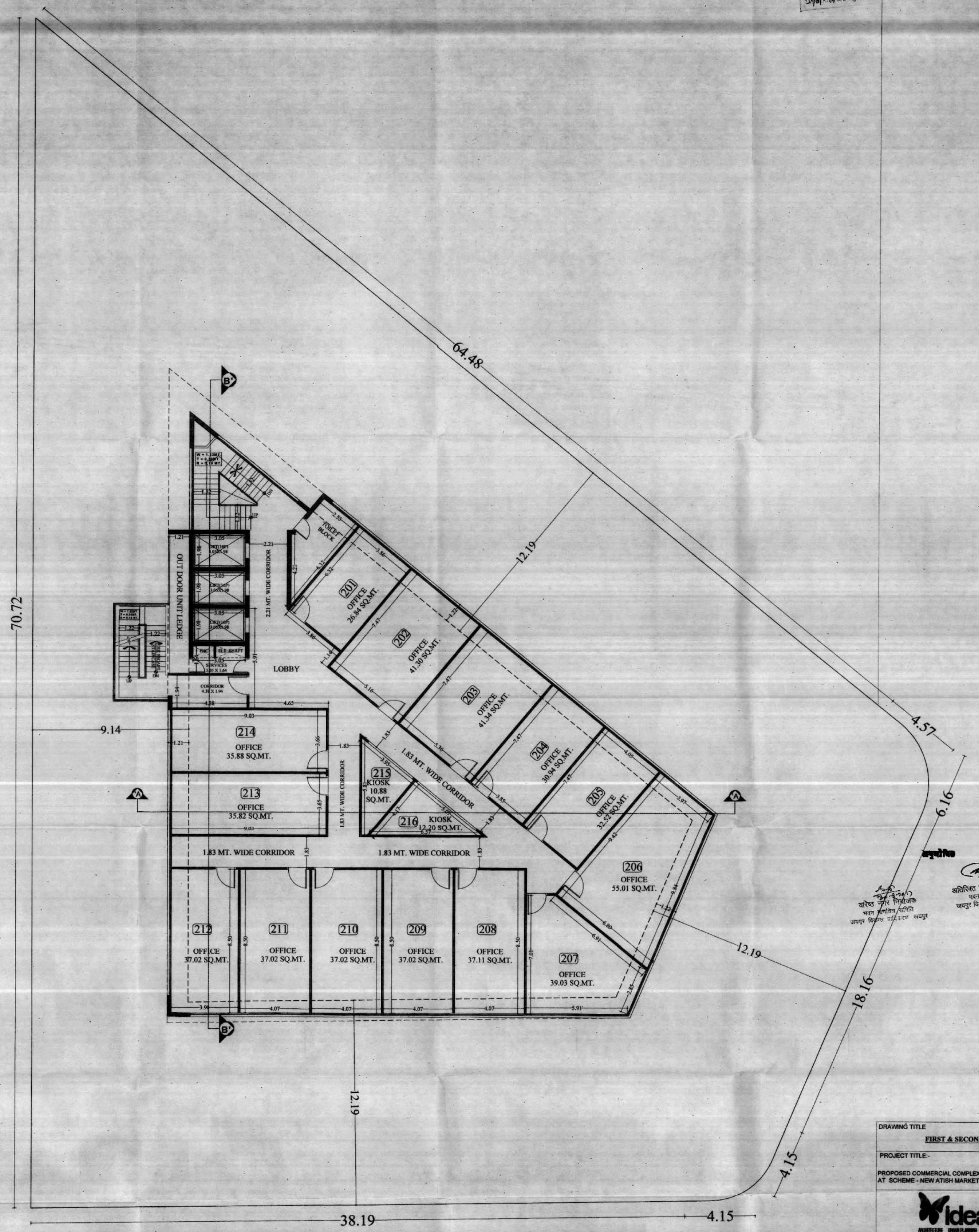

SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN

DRAWING TITLE	**FIRST & SECOND FLOOR PLAN**
PROJECT TITLE:-	PROPOSED COMMERCIAL COMPLEX AT SCHEME - NEW ATISH MARKET,JAIPUR.
SCALE 1:100	NORTH POINT
OWNER	ARCHITECT: GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT, Architect, CA/97/22030

ideas — ARCHITECTURE URBAN PLANNING INTERIORS

Applicant should plan in construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

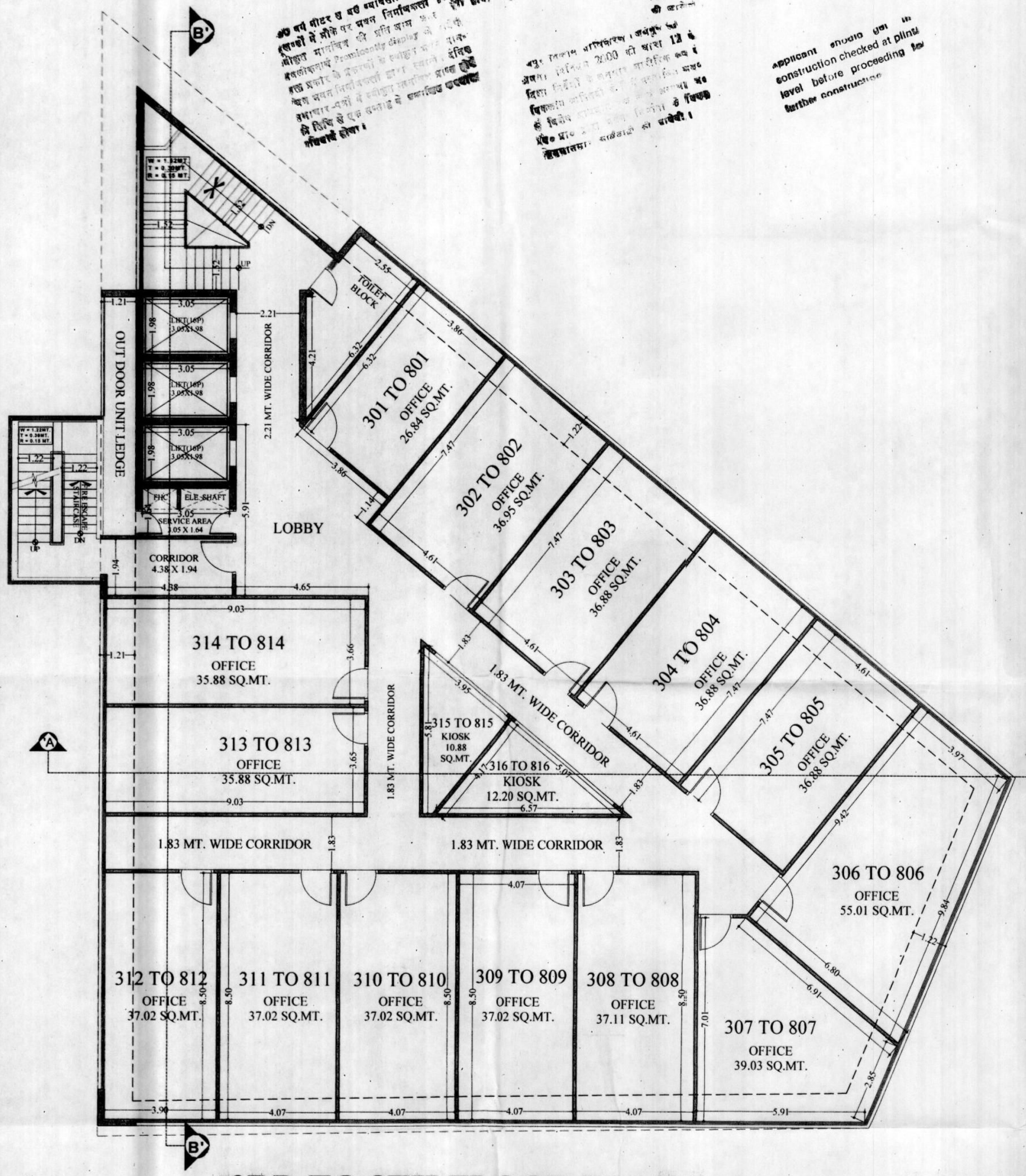

3RD TO 8TH FLOOR PLAN

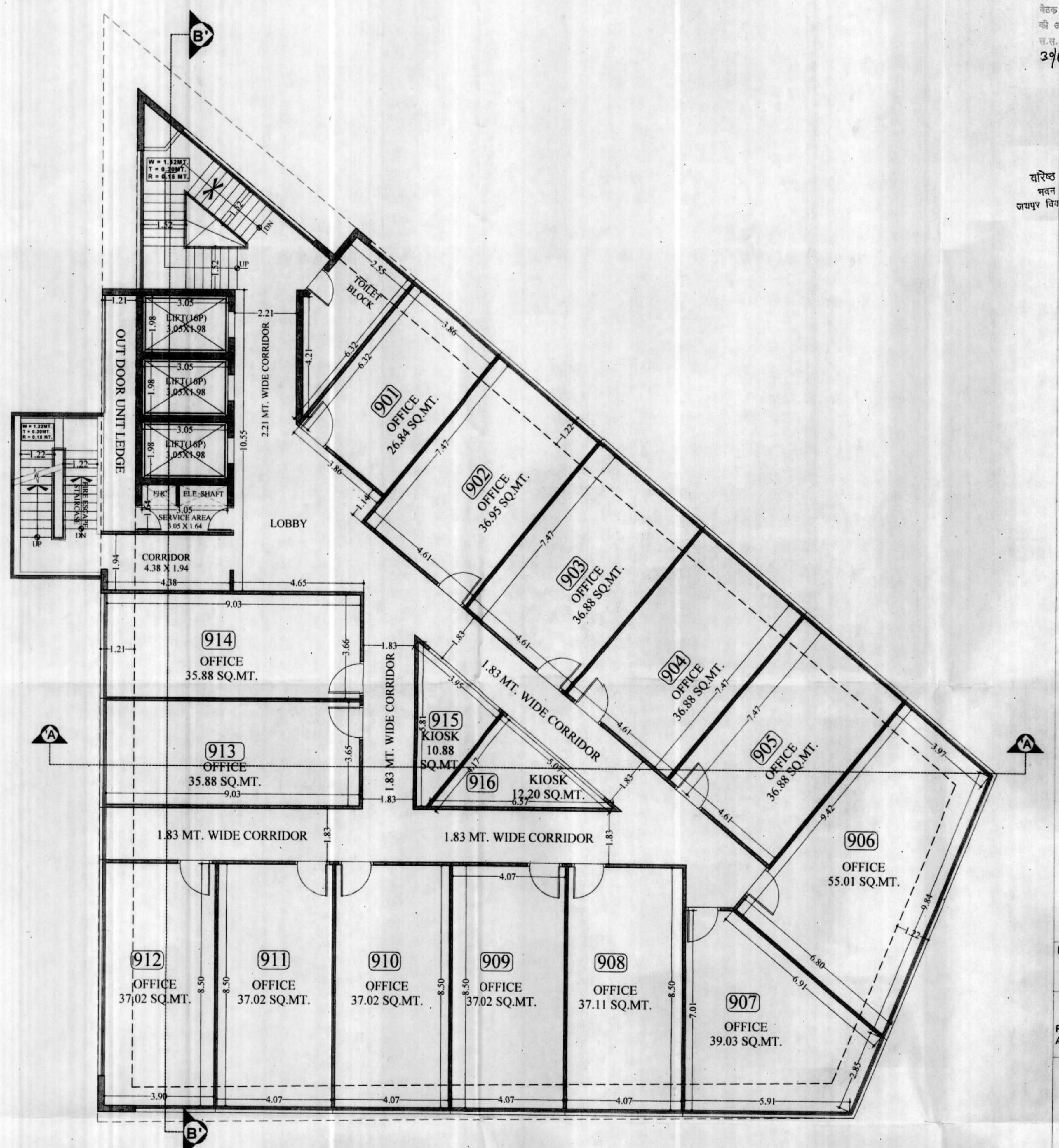

9TH FLOOR PLAN

SHEET NO. 06

3RD TO 8TH FLOOR PLAN & 9TH FLOOR PLAN

भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की 195 बैठक दिनांक 28/7/2017 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में भवन मानचित्र पत्रांक ... 1870 दिनांक 30/8/2017 द्वारा अनुमोदित कर जारी किये गये।

अनुमोदित

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

DRAWING TITLE: 3RD TO 8TH FLOOR PLAN & 9TH FLOOR PLAN

PROJECT TITLE:- PROPOSED COMMERCIAL COMPLEX AT SCHEME - NEW ATISH MARKET, JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE URBAN PLANNING INTERIORS

SCALE 1:100

NORTH POINT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER

ARCHITECT

SHEET NO. 07

10TH & 11TH FLOOR PLAN

भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की ...195...वीं बैठक दिनांक 28/7/2017 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में भवन मानचित्र पत्रांक जविप्रा/ स.स./बीपीसी (बीपी)/डी-1870 दिनांक...... 30/8/2017 द्वारा अनुमोदित कर जारी किये गये।

अनुमोदित

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण

applicant ... construction checked at plinth level bef... proceeding for further construction.

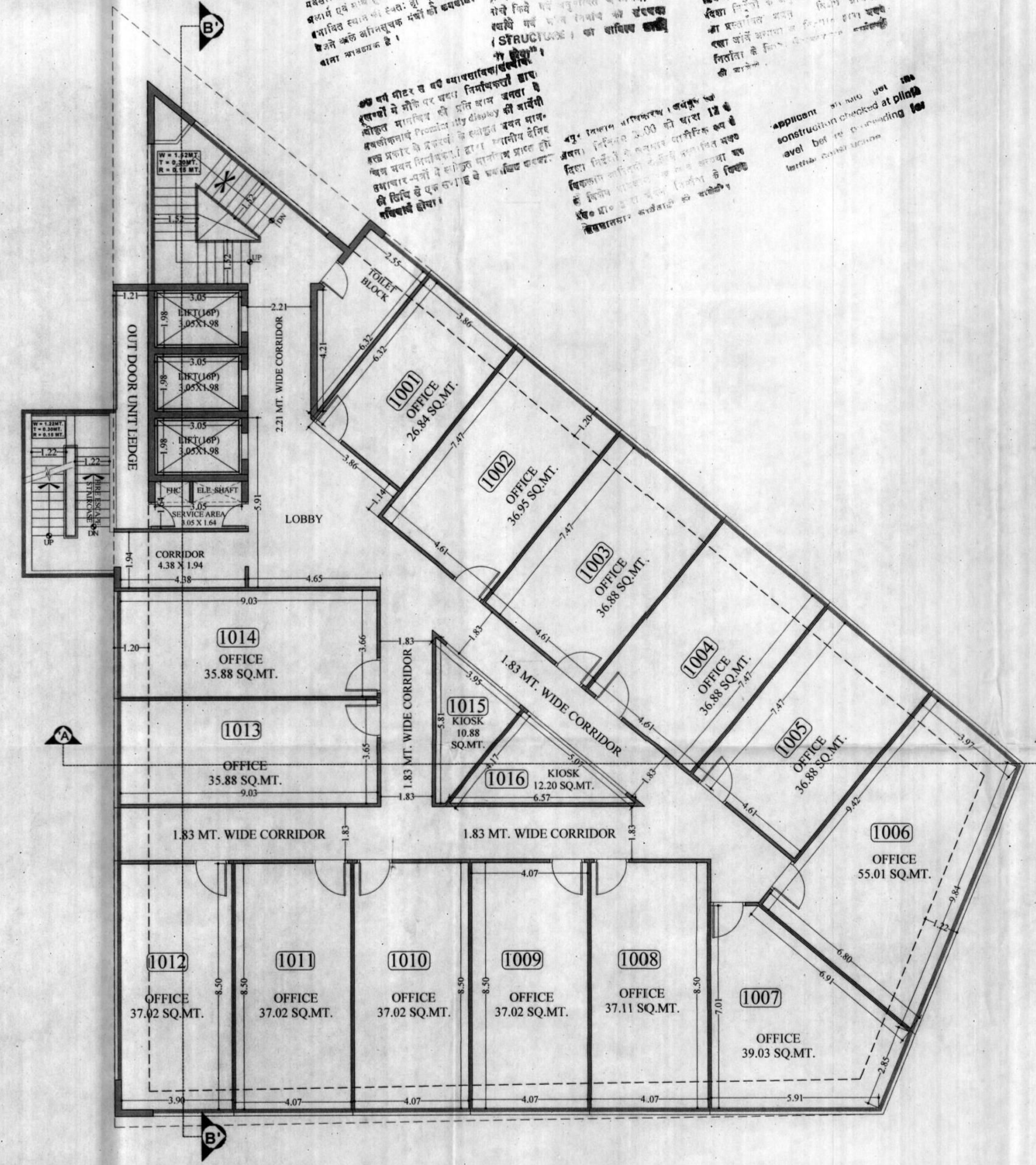

10TH FLOOR PLAN

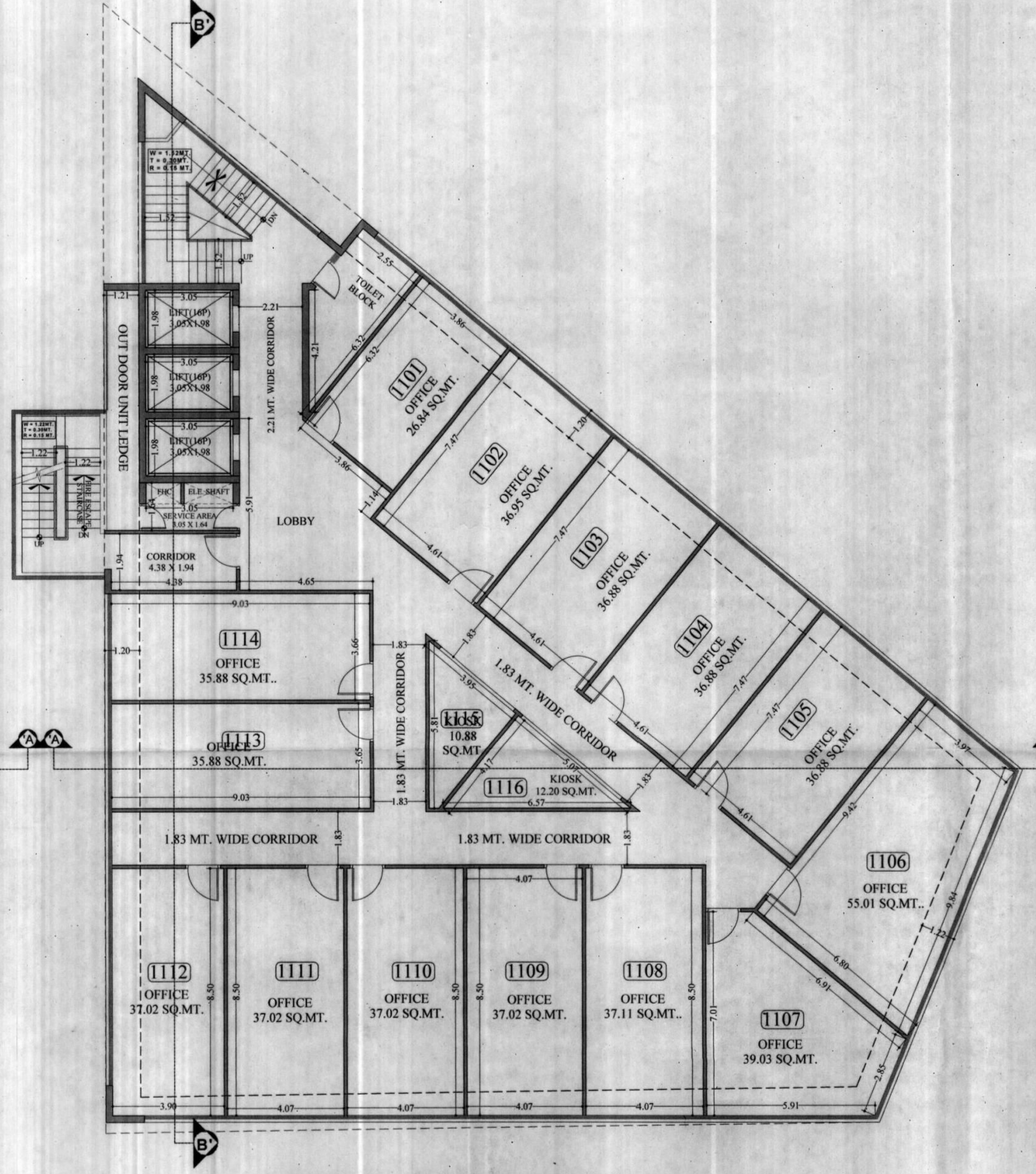

ELEVENTH FLOOR PLAN

DRAWING TITLE
10TH & 11TH FLOOR PLAN

PROJECT TITLE:-
PROPOSED COMMERCIAL COMPLEX
AT SCHEME - NEW ATISH MARKET, JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE URBAN PLANNING INTERIORS

SCALE 1:100
NORTH POINT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER
ARCHITECT

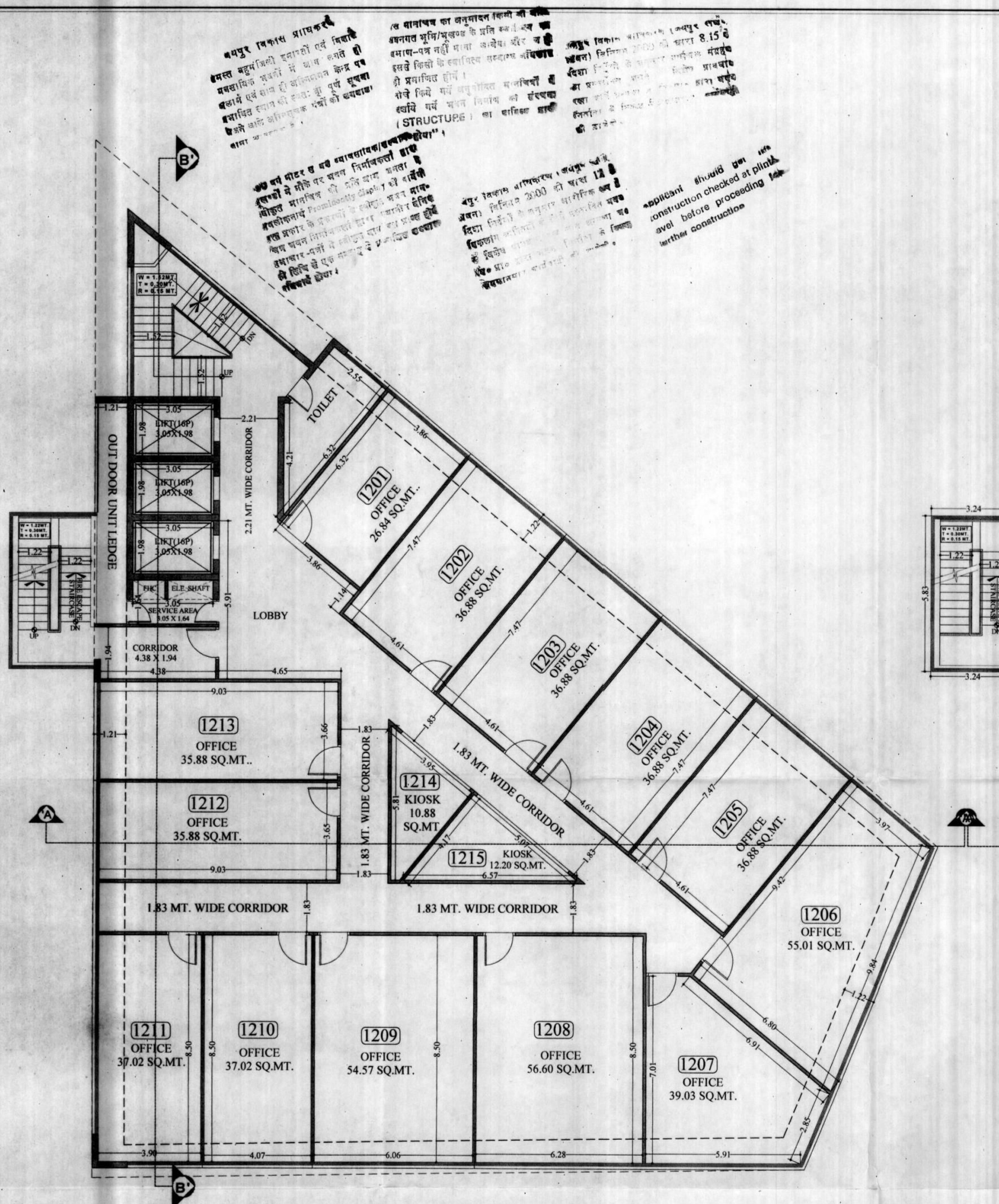

12TH FLOOR PLAN

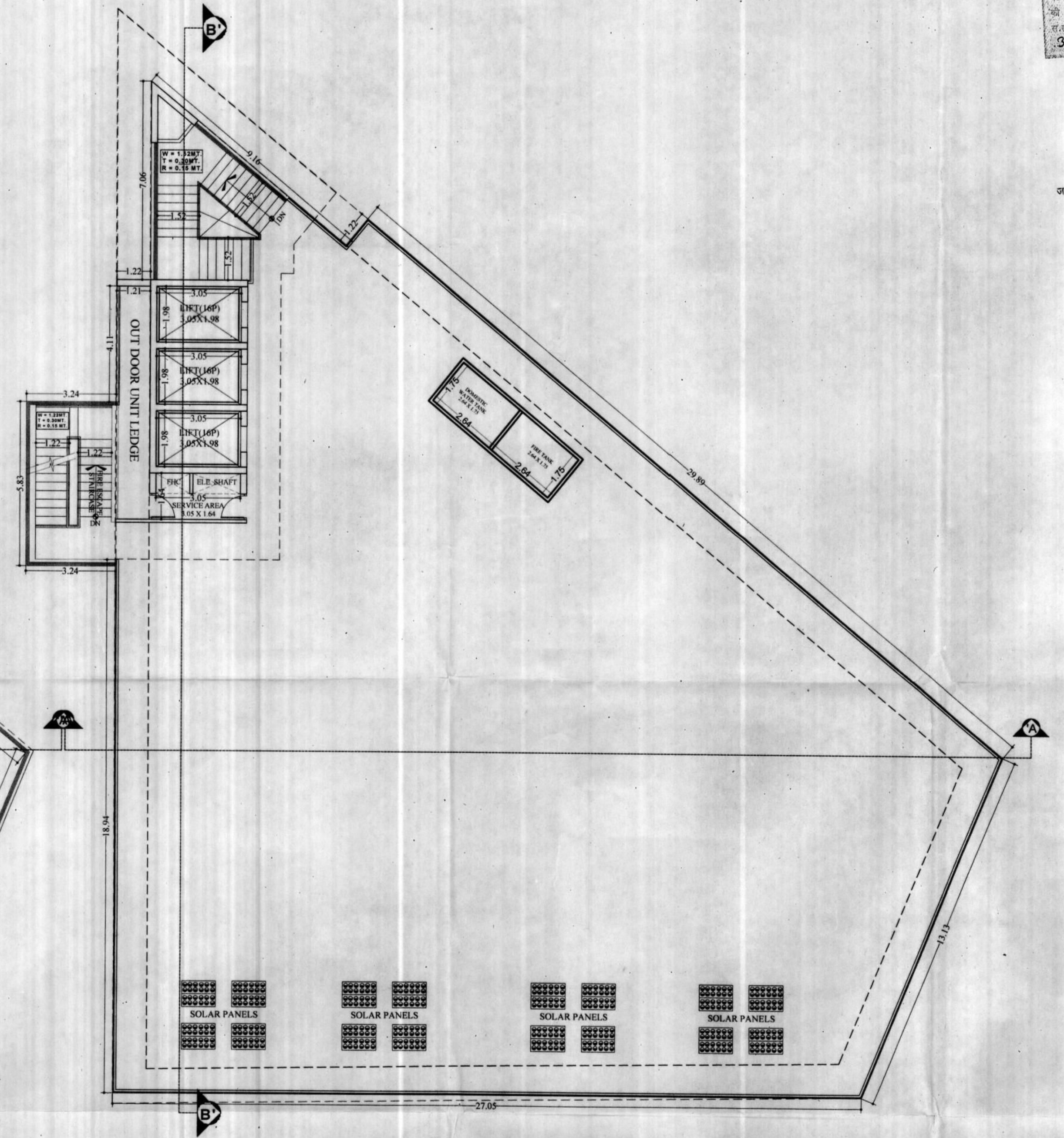

TERRACE FLOOR PLAN

SHEET NO. 08

12TH FLOOR PLAN &|
TERRACE FLOOR PLAN

भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की ...195... वीं बैठक दिनांक 28/7/2017 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में भवन मानचित्र पत्रांक जविप्रा/ स.स./बीपीसी (बीपी)/डी-1870 दिनांक 30/8/2017 द्वारा अनुमोदित कर जारी किये गये।

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

DRAWING TITLE
12TH FLOOR PLAN &|
TERRACE FLOOR PLAN

PROJECT TITLE:-
PROPOSED COMMERCIAL COMPLEX
AT SCHEME - NEW ATISH MARKET, JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE URBAN PLANNING INTERIORS

SCALE 1:100
NORTH POINT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER
ARCHITECT

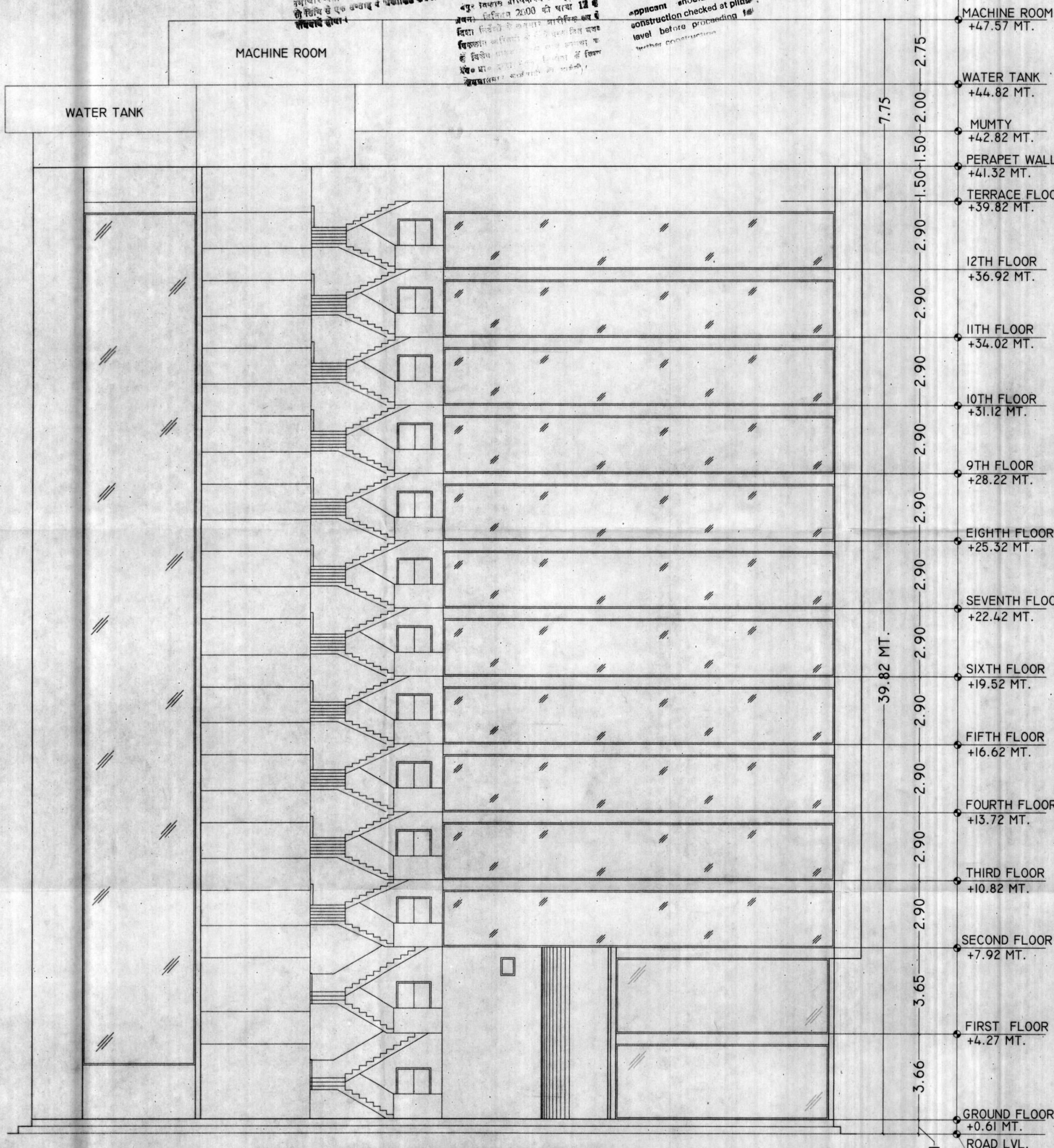

EAST - (REAR -ELEVATION)

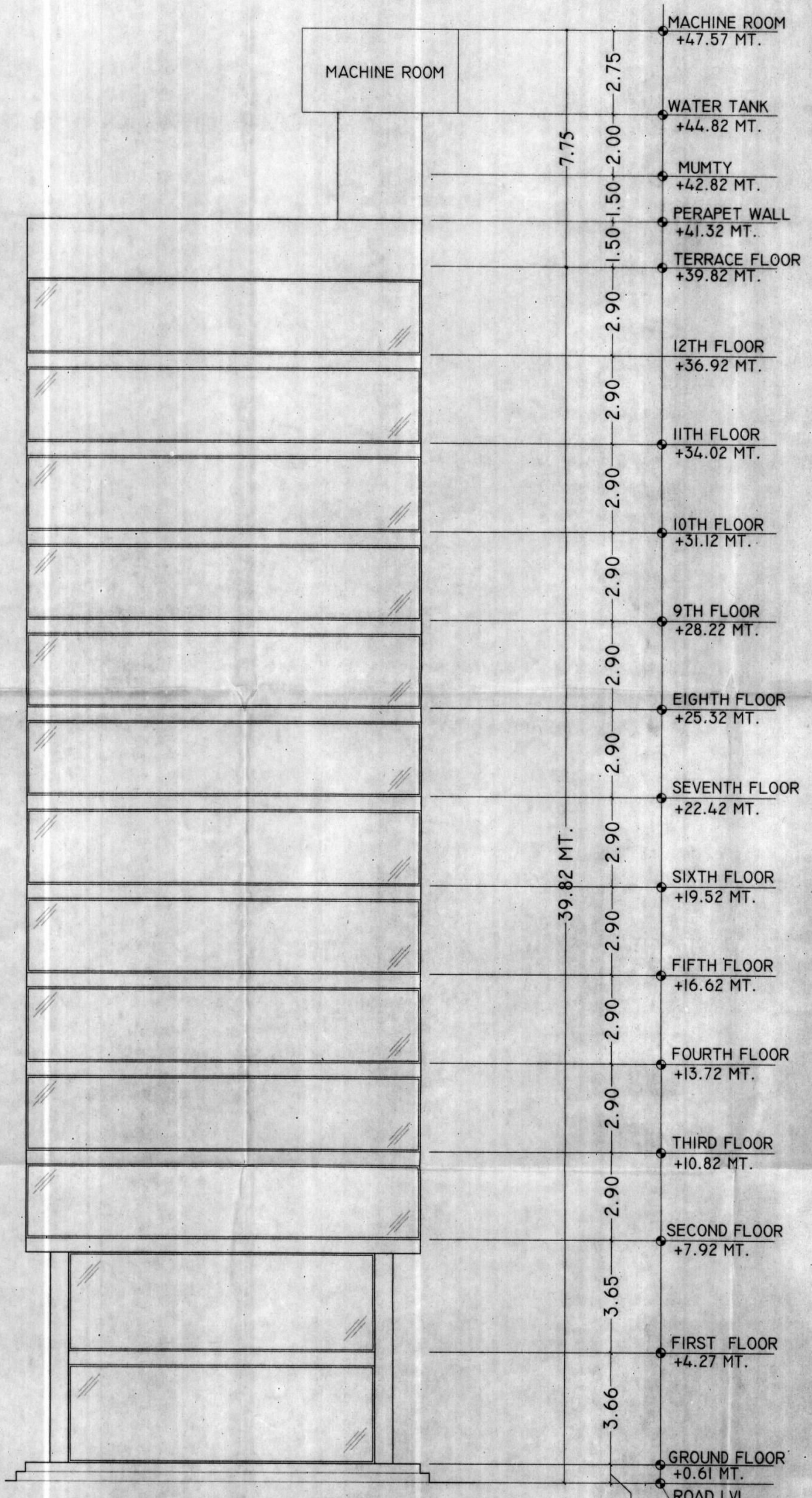

(NORTH WEST SIDE -ELEVATION)

applicant should get the construction checked at plinth level before proceeding further construction

SHEET NO. 09

ELEVATIONS

DRAWING TITLE

ELEVATIONS

PROJECT TITLE:-

PROPOSED COMMERCIAL CUM RESIDENTIAL APARTMENT AT SCHEME - NEW ATISH MARKET, JAIPUR.

ideas

SCALE 1:100

NORTH POINT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER

ARCHITECT

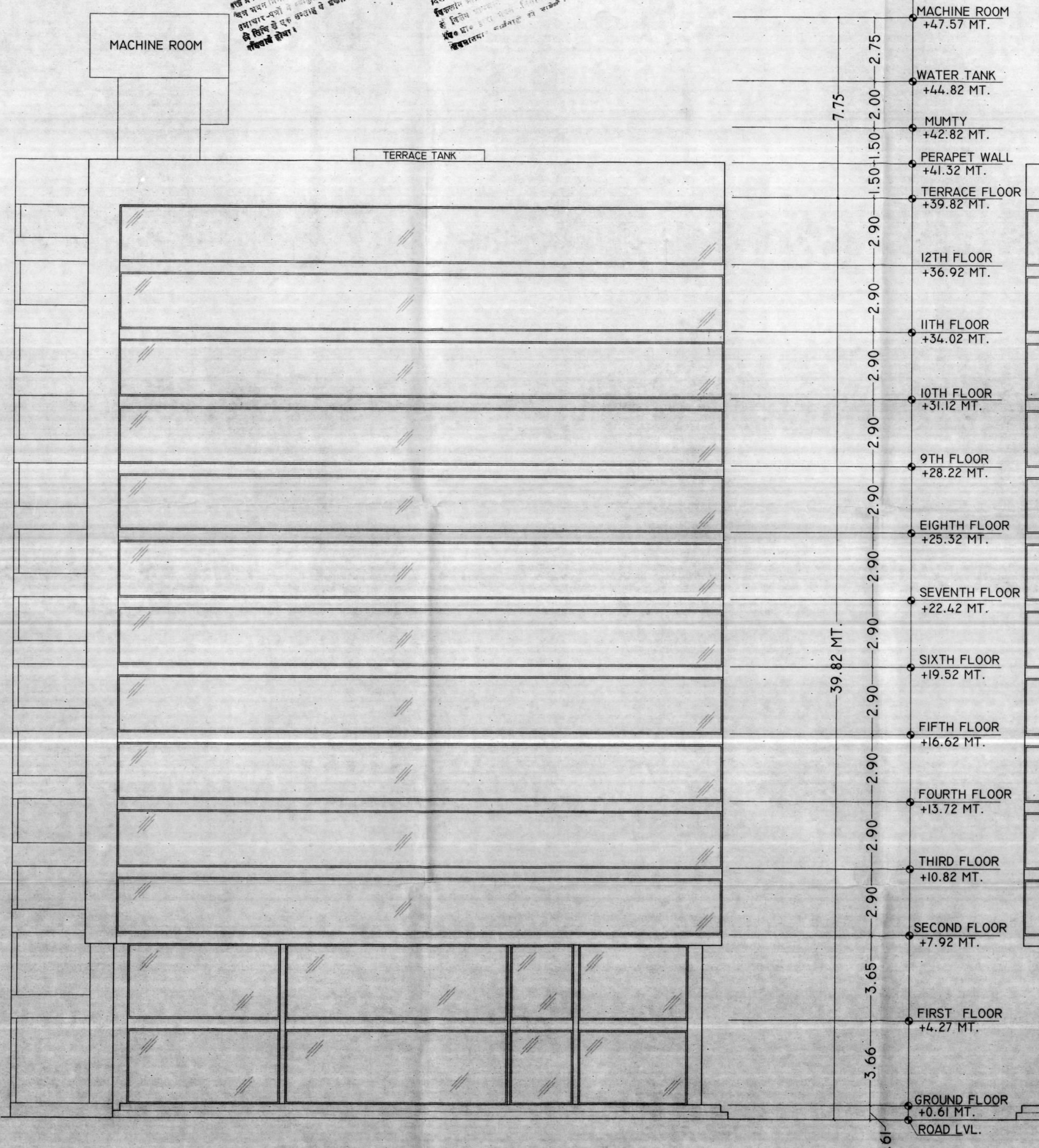

NORTH -(FRONT -ELEVATION)

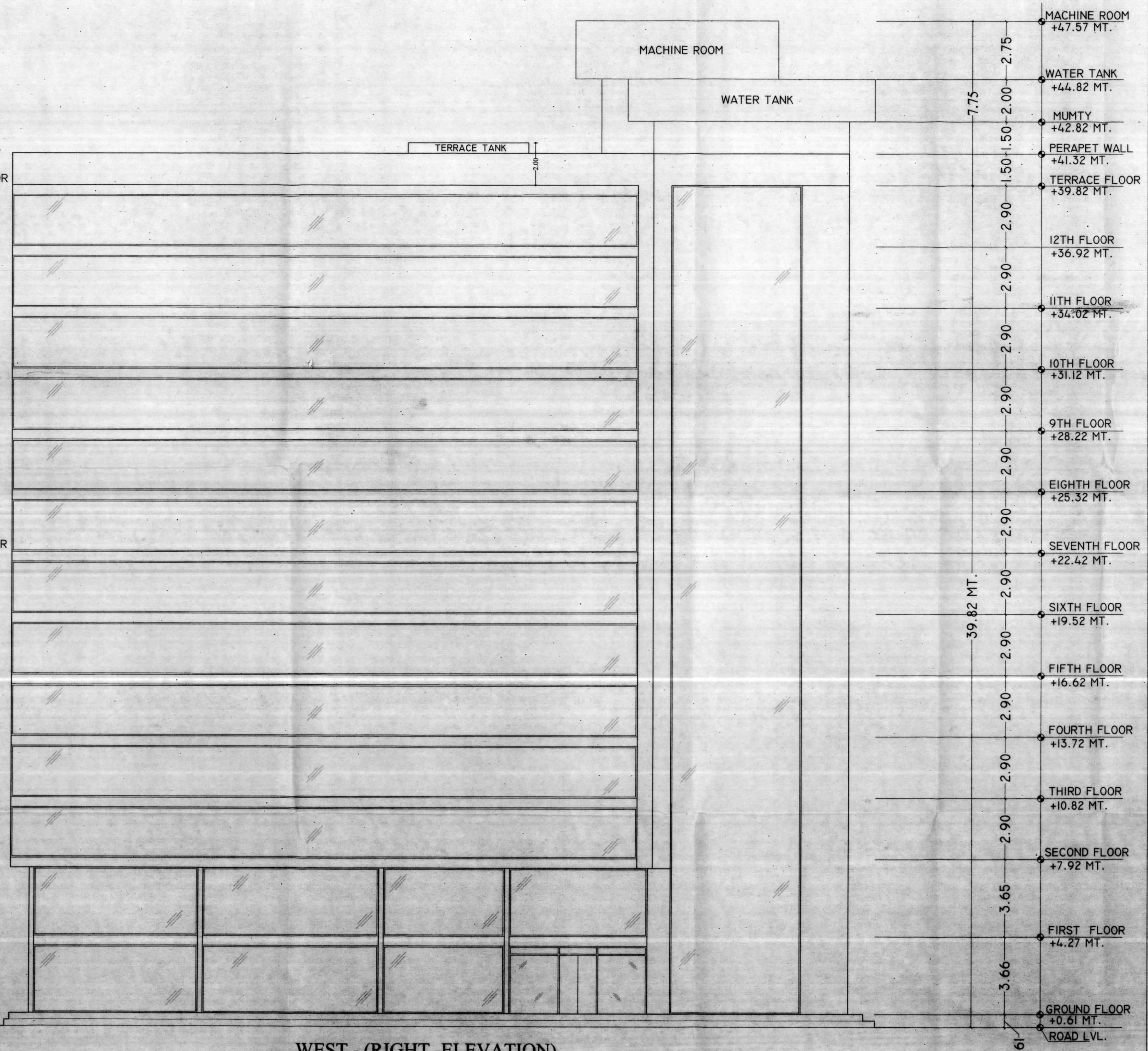

WEST - (RIGHT -ELEVATION)

SHEET NO. 10

ELEVATIONS

भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की ...195....वीं बैठक दिनांक 28/7/2017 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में भवन मानचित्र पत्रांक जविप्रा/ सा.प्रा./बीपीसी (बीपी)/डी-1870 दिनांक 30/8/2017 द्वारा अनुमोदित कर जारी किये गये।

अनुमोदित

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

30/8/17
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

DRAWING TITLE

ELEVATIONS

PROJECT TITLE:-

PROPOSED COMMERCIAL CUM RESIDENTIAL APARTMENT AT SCHEME - NEW ATISH MARKET,JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE URBAN PLANNING INTERIORS
124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2705580

SCALE 1:100	NORTH POINT
OWNER	GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT Architect ARCHITECT

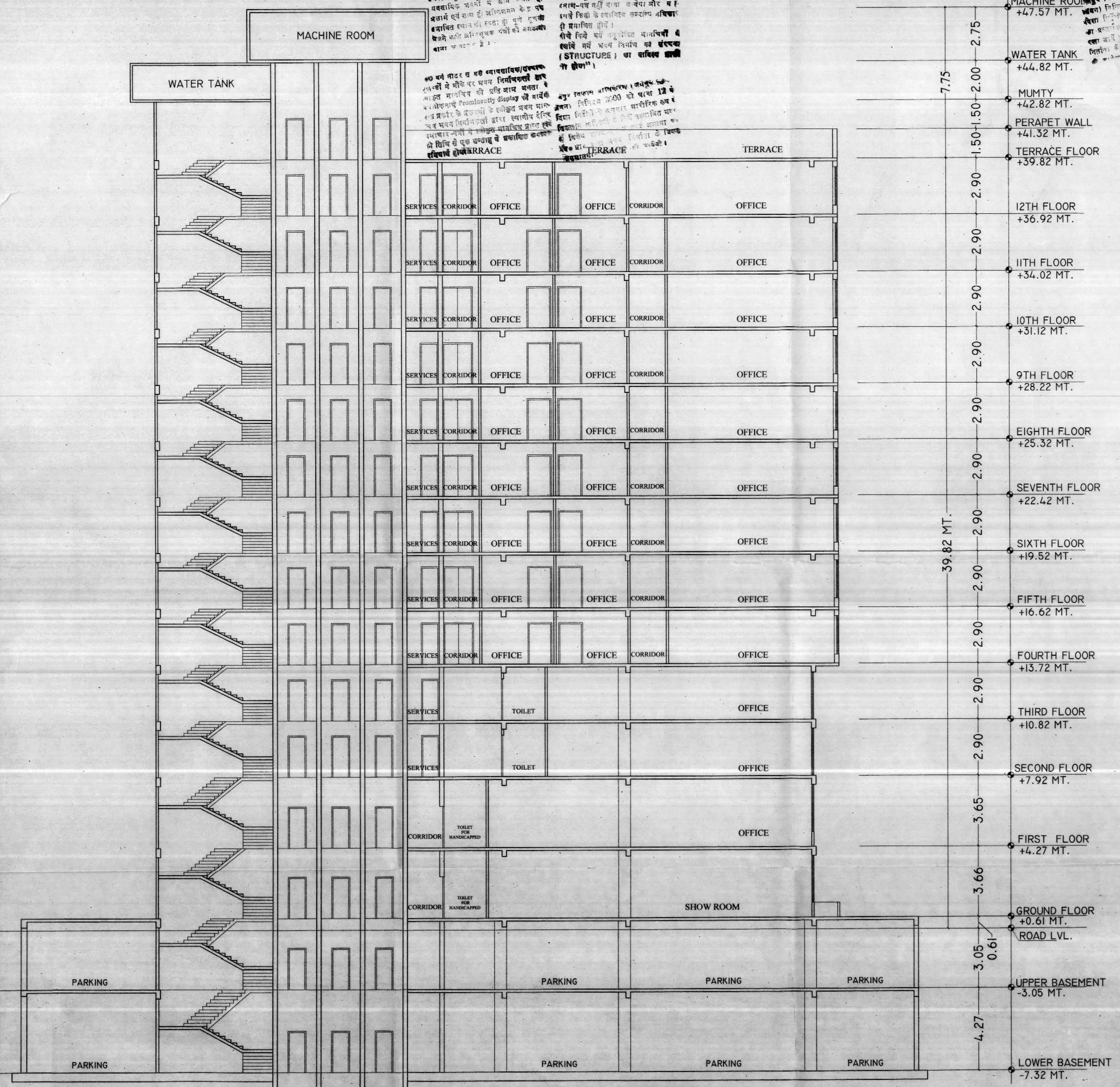

SECTION -B'-B

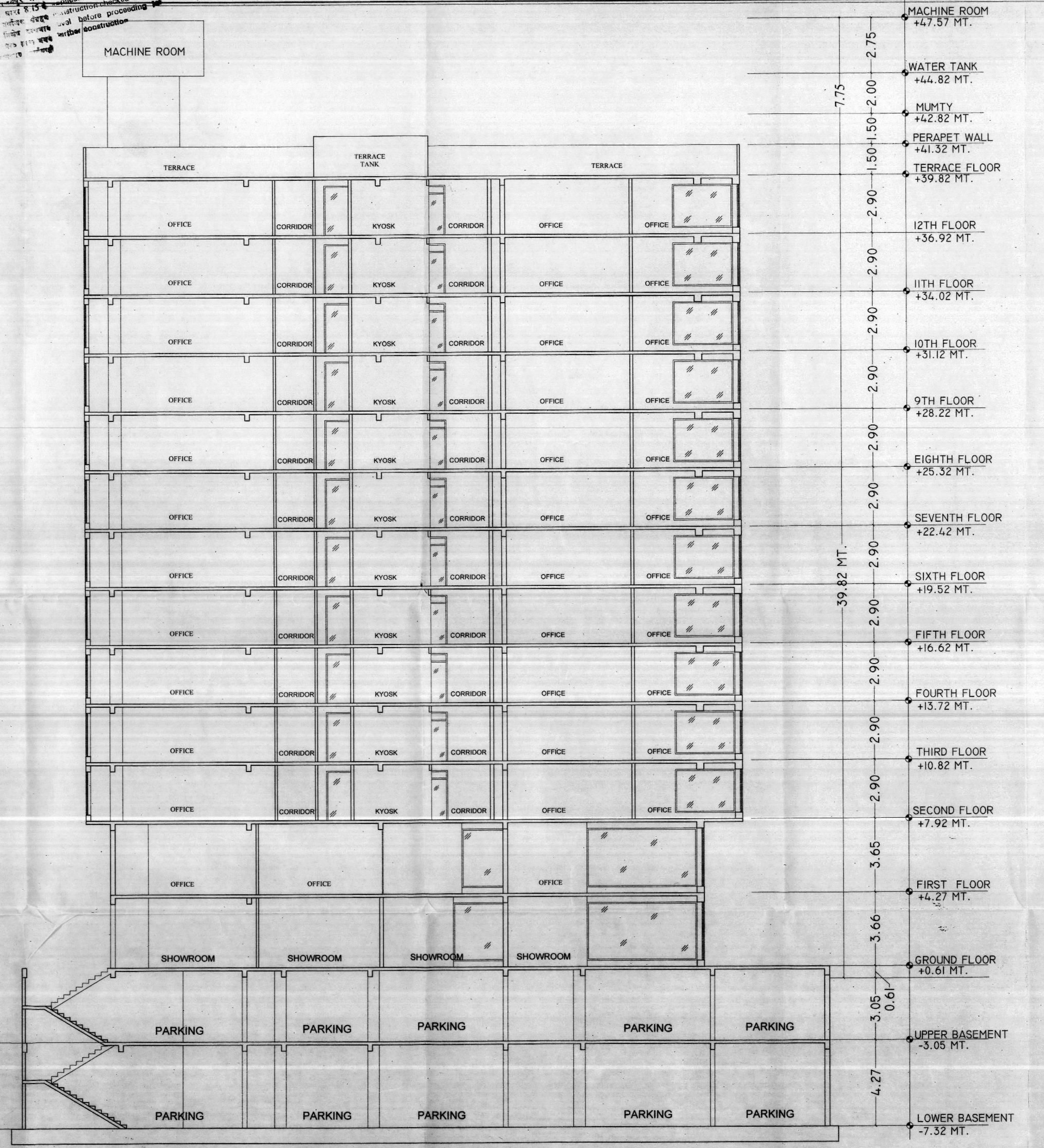

SECTION -A'-A

SHEET NO. 11

SECTIONS

भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की 195 वीं बैठक दिनांक 28/7/2017 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में भवन मानचित्र पत्रांक जविप्रा/ स.नि.-/बीपीसी (बीपी)/डी-187D दिनांक 30/8/2017 द्वारा अनुमोदित कर जारी किये गये।

अनुमोदित

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

DRAWING TITLE

SECTIONS

PROJECT TITLE:-

PROPOSED COMMERCIAL CUM RESIDENTIAL APARTMENT AT SCHEME - NEW ATISH MARKET, JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE URBAN PLANNING INTERIORS
124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706880

SCALE 1:100	NORTH POINT
OWNER	GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT Architect CA/97/22030 ARCHITECT